

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा।


आम नीलामी सूचना

सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के अंतर्गत राज्यसात वाहन (जहाँ है, जिस स्थिति में है) की बिक्री दिनांक-20.05.2026 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय, गढ़वा में आम नीलामी द्वारा की जायेगी। यदि नीलामी तिथि को किसी कारणवश अवकाश या बंदी घोषित होता है तो उसके अगले कार्य दिवस को नीलामी की तिथि तय मानी जायेगी। नीलामी हेतु राज्यसात वाहन की सूची, क्रमानुसार विवरणी एवं अन्य शर्तें निम्नांकित है :-

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या/ इंजन संख्या/ चेचिस संख्या	वाहन जहाँ स्थित है।	जमा की जाने वाली अग्रधन की राशि (Gate Money) (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	महिन्द्रा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित, रंग-लाल, मॉडल B275DI	Engine No. PES3A85D320RS2924 / Serial No. - 86220786	वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर, भवनाथपुर	20,000.00

आम नीलामी की शर्तें :-

- (1) आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान का GST निबंधन होना अनिवार्य होगा।
- (2) आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपरोक्त सूची में उल्लेखित अग्रधन की राशि (Gate Money) नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा के पदनाम से एवं गढ़वा जिला स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में भुगतये हो, जमा करना होगा।
- (3) सफल क्रेता को वाहन के क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि दिनांक-20.05.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के कार्यालय में जमा करना होगा।
- (4) वाहन के लिए सफल क्रेता को आम नीलामी की तिथि से 15 दिनों के अंदर क्रय मूल्य की पूरी राशि, आयकर एवं GST अधिनियम के तहत अनुमान्य कर का भुगतान करना होगा तथा GST अधिनियम के तहत देय कर का भुगतान रिभर्स चार्ज मैकेनिज्म (R.C.M.) के अंतर्गत करना होगा तथा चालान एवं रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वाहन उठाव की अनुमति दी जायेगी।
- (5) सफल क्रेता को वाहन का उठाव (जो वाहन जहाँ है वहीं से) अपने खर्च पर करना होगा।
- (6) असफल क्रेता को अग्रधन की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेता का अग्रधन की राशि वाहन के क्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।
- (7) आम नीलामी की तिथि, समय, स्थान आदि में परिवर्तन/रद्द इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल को सुरक्षित रहेगा।
- (8) सफल क्रेता, आम नीलामी की तिथि से 15 दिनों के अंदर वाहन का क्रय मूल्य की राशि, आयकर एवं GST अधिनियम के तहत देय कर का भुगतान नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन एवं प्रतिभूति की राशि बिना कारण बताये हुए झारखण्ड राज्य सरकार के पक्ष में forfeit कर ली जाएगी।
- (9) वाहन क्रय के बाद, वाहन का निबंधन एवं अन्य नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेवारी क्रेता की होगी।
- (10) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान उपर्युक्त वाहन को (जो जहाँ है, जिस स्थिति में है) किसी भी दिन कार्यालय अवधि में उनके रखे गये स्थान पर देख सकते हैं।
- (11) विवाद होने की स्थिति में उसका अंतिम निपटारा स्थल गढ़वा रहेगा।


वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।